स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के 43 कैदियों को किया जाएगा रिहा

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2023 को हरियाणा के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 15 अगस्त, 2023 को 43 कैदियों को विशेष छूट देते हुए रिहा करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 7 कैदियों, जिन्होंने बिना छूट के अपनी वास्तविक सज़ा का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया है, को रिहा किया जाएगा।
- इसी प्रकार ऐसे सज़ायाफ्ता कैदी, जिन्होंने वास्तविक सज़ा अवधि में से बिना छूट के दो-तिहाई या 66 प्रतिशत तक की सज़ा पूरी कर ली है, की सज़ा को भी कम कर दिया गया है। ऐसे 33 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छूट का लाभ देकर रिहा किया जाएगा।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 3 ऐसे सज़ायाफ्ता कैदी हैं, जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, परंतु वे गरीब होने के कारण जुर्माना देने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी विशेष छूट का लाभ देकर 15 अगस्त, 2023 को रिहा किया जाएगा।
- उक्त कैदियों को किसी भी न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि को अवश्य जमा करवाना होगा, अगर वे 15 अगस्त से पहले यह जुर्माना राशि जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/43-prisoners-of-the-state-to-be-released-on-independence-day